

बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद् (विघटित)

पन्त भवन, बेली रोड, पटना - 800001

संचिका संख्या-01/स्था०राज०-03/2015-16

कार्यालय आदेश संख्या- / 5.12. /

पटना, दिनांक-03.12.2016

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-9798/2008 एवं समविषयक अन्य मामलों में समेकित रूप से दिनांक-13.05.2014 को पारित न्यायादेश के आलोक में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ विघटित बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद् एवं अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मियों को देय है। तदनुसार उक्त न्यायादेश के अनुपालन में कृषि विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-4/कृषि विधि-60/14/1685/क०, पटना, दिनांक-30 मार्च, 2015 से प्राप्त निर्देश एवं इससे सम्बन्धित एम०जे०सी० सं०-222/2015 में दिनांक-20.05.2015 को पारित न्यायादेश एवं पर्षद्(वि०) में उपलब्ध सम्बन्धित अभिलेखों के आलोक में पर्षदीय आदेश संख्या-614, ज्ञापांक-1145, दिनांक-31.08.2015 द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक में दिनांक-08.04.2016 को आहूत की गई।

सेवा पुस्तिका एवं निजी संचिका में वर्णित कर्मियों/पदा० के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं रहने के आधार पर चारित्रिक स्वच्छता दी जाती है साथ ही स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-5661, दिनांक-02.09.2008, कृषि विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-4660, दिनांक-21.06.2011 तथा कृषि विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-4672, दिनांक-23.06.2011 द्वारा विघटित बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद् एवं अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मियों को पर्षद्/समिति में कार्यरत रहने की अवधि तक के लिए वित्त विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-4685 वि० (2) दिनांक-25.06.2003 के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003 में निहित प्रावधान अनुसार 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उनके योगदान की तिथि से 2 वर्षों के बाद की तिथि से सेवा संपुष्ट करते हुए निम्नलिखित संवर्ग के पदा०/कर्मचारियों को निम्नवत् प्रथम एवं द्वितीय उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है :-

I. पणन सचिव (ग्रेड-"बी") संवर्ग :-

निम्नलिखित कार्यरत/सेवानिवृत्त पणन सचिव, ग्रेड "बी" संवर्ग के कर्मचारियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (5500-175-9000) को उनके नाम के सामने कॉलम 8 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान 6500-10500 में प्रथम उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है :-

| क्र० | नाम | पदनाम | कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-5661 दिनांक-29.2008 द्वारा समायोजित सूची में अनुलग्नक/क्रमांक | अंतिम पदस्थापन स्थान | जन्म तिथि | नियुक्ति की तिथि | प्रथम ए०सी०पी० देय की तिथि | द्वितीय ए०सी०पी० की देय तिथि |
|------|-----------------|----------------------|--|----------------------|-----------|---|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | श्री नन्दू सिंह | पणन सचिव, ग्रेड-"बी" | कृषि विभाग के संकल्प ज्ञापांक 8160 दिनांक 28.12.2011 07/02 | मोतीपुर | 5.10.1956 | 25.09.1979 प्रयोगशाला परिचारक 30.06.95 कैयर टेकर 22-07-02 पणन सचिव-"बी" | 30.06.2007 | कालावधि पूर्ण नहीं |

II. मूल्य प्रतिवेदक संवर्ग :-

निम्नलिखित कार्यरत/सेवानिवृत्त मूल्य प्रतिवेदक संवर्ग के कर्मचारियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (4500-125-7000) को उनके नाम के सामने कॉलम 8 एवं 9 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान 5000-8000 एवं 6500-10500 में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है :-

| क्र० | नाम | पदनाम | कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-5681, दिनांक-29.2008 द्वारा समायोजित सूची में अनुलग्नक/कमांक | अंतिम पदस्थापन स्थान | जन्म तिथि | नियुक्ति की तिथि | प्रथम ए०सी०पी० देय की तिथि | द्वितीय ए०सी०पी० की देय तिथि |
|------|----------------------------|-----------------|---|----------------------|------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | श्री अरुण कुमार झा | मूल्य प्रतिवेदक | 41/8 | बाढ़ | 02.01.1951 | 9.8.75 | 09.08.1999 | 09.08.1999 |
| 2 | श्री सुरेश प्रसाद वर्मा | | 41/11 | मधुबनी | 01.03.1951 | 9.1.76 | 09.08.1999 | 09.01.2000 |
| 3 | श्री भीष्म प्रसाद राय | | 41/25 | फारबिसगंज | 4.6.1948 | 13.8.75 | 09.08.1999 | 13.08.1999 |
| 4 | श्री दिवाकर प्रसाद सिंह | | 41/35 | नरकटियागंज | 23.10.1953 | 13.9.75 | 15.09.1999 | 15.09.1999 |
| 5 | श्री दयानन्द मेहता | | 41/36 | अररिया | 2.7.1952 | 16.9.75 | 09.08.1999 | 16.09.1999 |
| 6 | श्री चन्द्रकेतु नारायण | | 41/38 | छपरा | 13.4.1948 | 26.9.75 | 09.08.1999 | 26.09.1999 |
| 7 | श्री सत्येन्द्र नारायण राय | | 41/39 | सहरसा | 2.4.1948 | 01.07.95 | 01.07.2007 | कालावधि पूर्ण नहीं |

III. सहायक संवर्ग :-

निम्नलिखित कार्यरत/सेवानिवृत्त सहायक संवर्ग के कर्मचारियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (5500-175-9000) को उनके नाम के सामने कॉलम 8 एवं 9 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान 6500-200-10500 एवं 10000-325-15200 में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है :-

| क्र० | नाम | पदनाम | कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-5681, दिनांक-29.2008 द्वारा समायोजित सूची में अनुलग्नक/कमांक | अंतिम पदस्थापन स्थान | जन्म तिथि | नियुक्ति की तिथि | प्रथम ए०सी०पी० देय की तिथि | द्वितीय ए०सी०पी० की देय तिथि |
|------|-----------------------|-------|---|----------------------|-----------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | राजेन्द्र प्रसाद सिंह | सहायक | 3/6 | नोखा | 18.6.1951 | 04.04.1979 | 09.08.1999 | 04.04.2003 |
| 2 | श्रीकान्त प्रसाद | सहायक | 3/8 | पर्षद (मु०) | 15.3.1957 | 21.05.1981 | 09.08.1999 | 21.05.2005 |

IV. पणन सचिव संवर्ग :-

निम्नलिखित कार्यरत/सेवानिवृत्त पणन सचिव संवर्ग के कर्मचारियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (6500-200-10500) को उनके नाम के सामने कॉलम 8 एवं 9 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान 10000-325-15200 एवं 12000-375-16500 में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है :-

